

बौद्धिक संपदा नयिमों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेटेंट उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर आयातित उत्पादों को जब्त करने की सीमा शुल्क प्राधिकरणों में नहिति शक्त को रद्द करने के लिये बौद्धिक संपदा नयिमों में संशोधन कया है।

महत्त्वपूर्ण बढि

- 22 जून को मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन नयिम, 2007 में दो संशोधन कयि।
- यह संशोधन बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन संशोधन नयिम, 2018, पेटेंट अधिनयिम, 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है।
- संशोधन में आगे की स्थितियों को शामिल कया गया है जो अधिकार धारक को कसिी भी संशोधन, रद्दीकरण, नलिंबन या प्रतक्रिया के बारे में सीमा शुल्क आयुक्त को सूचित करने के लिये बाध्य करता है।
- अतीत में मोबाइल फोन कंपनयियों को पहले के नयिमों के कारण जटलिताओं का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिये, 2007 में मदुरै स्थिति रामकुमार (जनिहोंने ड्यूल (dual) समि के लिये पेटेंट की मांग की थी) ने सैमसंग और स्पाइस मोबाइल द्वारा आयातित उत्पादों की जबती की मांग की, जसिने कई आयातकों को प्रभावित कया।
- अब संशोधित कानून सीमा शुल्क प्राधिकरणों को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) द्वारा पारित आदेश के आधार पर इसके रकिॉर्ड से अपने पेटेंट को रद्द करने की अनुमतदिगा।